राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17
पंचकुला

क्रमांकः– रा0नि0आ0/1एम0ई0/2016/457 दिनांकः– 28.04.2016

सेवा में

सभी उपायुक्त,
सिवाय फरीदाबाद, पंचकूला तथा यमुनानगर ।

विषयः– नगरपरिषद/नगरपपालिका आम चुनाव, 2016 . मतदान केन्द्रों की स्थापना।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि 15 नगरपरिषद चरखी दादरी, जिला भिवानी, कैथल, जिला कैथल, हांसी, जिला हिसार, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, टोहाना और फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद, सोहना, जिला गुडगांव, बहादुरगढ, जिला झज्जर, नरवाना और जीन्द, जिला जीन्द, थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र, होडल और पलवल, जिला पलवल, मंडी डबवाली, जिला सिरसा, गोहाना, जिला सोनीपत और 28 नगरपालिकाओं नारायणगढ जिला अम्बाला, चीका और राजौंद जिला कैथल, बरवाला, जिला हिसार, महेन्द्रगढ़ एवं नंगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़, समालखा, जिला हिसार, महेन्द्रगढ़ एवं नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़, समालखा, जिला पानीपत, भूना और रतिया, जिला फतेहाबाद, झज्जर, जिला झज्जर, सफीदों और उचाना, जिला जीन्द, तरावड़ी, निसिंग, घरौंडा और असन्ध, जिला करनाल, लाडवा, पेहवा एवं शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र, फिरोजपुर झिरका, नूह एवं पुनहाना, जिला मेवात, बावल, जिला रिवाड़ी, महम, जिला रोहतक, कालांवाली, ऐलनाबाद और रानियां, जिला सिरसा और गन्नौर, जिला सोनीपत के आम चुनाव और वार्ड नं0 9, नगरनिगम पानीपत, वार्ड नं0 1 नगरपरिषद रिवाड़ी और वार्ड नं0 7, नगरपालिका कलानौर के उप चुनाव दिनांक 22/05/2016 को होने निश्चित हुये है।

2. मुझे यह भी कहने का निर्दश हुआ है कि हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 34(1) तथा हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35(1) में निहित व्यवस्था के अनुसार रिटरनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ हिदायतों में मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को आम चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतू आवश्यक निर्देश दिये जाए तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों का आपके माध्यम से आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहॉ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **(कोई भी मतदान केन्द किसी भी अस्तपताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये)**, तथापि यदि ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो उस स्थिति में प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस सम्बन्ध में आयोग को भी सूचित करें। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी मतदान केन्द्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है।

भवदीय,

Parmal Singh

(परमाल सिह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा